



रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू रा अधि दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.06.2024 को पेश हो।


(राजवीर सिंह यादव)
सुपरीमंड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। सहखातेदार लक्ष्मी देवी उपस्थित। पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 1111/533 रकबा 2.69 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

र.नि. लक्ष्मी देवी
L.D.
Bamf
Adv.

आदेश



(राजवीर सिंह यादव)
सुपरीमंड अधिकारी
पत्रावली नं. 96/2024
नीमकाथाना (राज.)

निर्णय दिनांक 18.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 1111/533 रकबा 2.69 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.03.2024 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
सुपरीमंड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)